शिविर कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर।

पत्रांक 3442/ओएसडी/डीएम/कानपुर नगर–2020 दिनांक : मार्च 17, 2020

आदेश

माननीय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, लखनऊ द्वारा जारी परिपत्र संख्या–581/पांच–5–2020 दिनांक 17 मार्च 2020 के माध्यम से कोविड–19 (कोरोना वायरस रोग) बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग के उपाय को अपनाने के लिए **चिकित्सा शिक्षा को छोड़ते हुए शेष सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल एवं थियेटर को दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक बन्द रखने तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/बोर्डो/संस्थानों की परीक्षाएं एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित रखने, बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थित न लेने, इसके लिए पंजिका का प्रयोग करने** के निर्देश दिये गये है। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या–548/पांच–5/2020 दिनांक 14–03–2020 के माध्यम से कोविड–19 (कोरोना वायरस रोग) की रोकथाम एवं बचाव हेतु भौगोलिक क्षेत्रों पर सार्वजनिक भीड़ को प्रतिबन्धित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः तद्नुपालन पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए जनहित एवं कोविड–19 (कोरोना वायरस रोग) के बचाव को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा शिक्षा को छोड़ते हुए शेष सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल एवं थियेटर को दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक बन्द रखने तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/बोर्डो/संस्थानों की परीक्षाएं एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित रखने, बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थित न लेने, इसके लिए पंजिका का प्रयोग करने हेतु तथा मल्टीप्लेक्स मॉल परिसरों में सार्वजनिक भीड़ एकत्रित न करने हेतु सर्वसंबंधित को आदेशित किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली–2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा–88 के अधीन दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर अवलोकनार्थ।
2–डी0आई0जी0/एस0एस0पी0, कानपुर नगर।
3–समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
4–कुल सचिव, एस0एस0जे0एम0 विश्व विद्यालय/एच0बी0टी0यू0/सी0एस0ए0 विश्वविद्यालय कानपुर
5–क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, कानपुर नगर।
6–नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
7–प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक/आई0टी0आई0, कानपुर नगर।
8–उप निदेशक, सूचना, कानपुर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
9–समस्त राजकीय कार्यालय के कार्यालयाध्यक्षगण।
6–समस्त संबंधित प्रबंधक/स्वामी, मल्टीप्लेक्स मॉल परिसर, कानपुर।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट
कानपुर नगर।

Scanned with CamScanner